न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1239 दिनांक –12.6.2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भंवराराम पुत्र बागाराम जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 बादरा पुत्र सगताराम 2 बिहारीलाल पुत्र गोरखाराम जाति मेगवाल 3 मोहनसिंह पुत्र रूगसिंह जाति राजपूत 4 कानाराम पुत्र मूलचन्द जाति मेगवाल 5 दीपाराम पुत्र तगाराम जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 1299/2017 दिनांक– 11.06.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1745, 1746, 2658/1762 कुल रकबा 20.07 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/1240-1243 दिनांक– 12.6.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भंवराराम पुत्र बागाराम जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी बादरा पुत्र सगताराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर